लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी (राजस्व)
(जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़
पीठासीन अधिकारी इन्द्रजीत सिंह, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या/15/2018 (सू.अ.)
पंजीयन दिनांक:– 01.02.2018

श्री किशनलाल पिता श्री गंगाराम बैरवा निवासी जलियॉ, तहसील निम्बाहेड़ा

बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं तहसीलदार, निम्बाहेड़ा

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम–2005

निर्णय

दिनांक 28.02.2018

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के तहत अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं तहसीलदार, निम्बाहेड़ा के यहां सूचना चाहने हेतु एक आवेदन दिनांक 23.12.2017 को रजिस्टर्ड ड़ाक से प्रस्तुत किया जो सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं तहसीलदार, निम्बाहेड़ा को 26.12.2017 को प्राप्त हुआ। प्रस्तुत आवेदन पर 30 दिवस की अवधि में भी अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने से यह अपील प्रस्तुत की गई।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर इस न्यायालय के पत्रांक प्र.सं. सूचना का अधिकार 15/2018/(23.02)/123 दिनांक 30.01.2018 से सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं तहसीलदार, निम्बाहेड़ा को दिनांक 23.02.2018 से पूर्व कमेंट्स प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करते हुए, अपीलार्थी को भी समसंख्यक पत्रांक (रजिस्टर्ड) से नियत दिनांक 23.02.2018 को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित होने के लिये लिखा गया।

अपीलार्थी ने प्रार्थना पत्र दिनांक 21.02.2018 प्रस्तुत कर स्वयं की तबियत खराब होने से व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आगामी तारीख पेशी हेतु निवेदन किये जाने पर अपीलार्थी को आगामी तारीख पेशी दिनांक 28.02.2018 नियत कर जरिये पत्रांक/प्र.सं./सूचना का अधिकार/15/2018/(28.02)/190 दिनांक 23.02.2018 रजिस्टर्ड पत्र के माध्यम से सूचित किया गया। रजिस्टर्ड पत्र के माध्यम से सूचना देने के बावजूद भी अपीलार्थी नियत दिनांक को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित नहीं हुआ।

सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं तहसीलदार, निम्बाहेड़ा ने अपने पत्र क्रमांक/सू.अ./2018/184 दिनांक 12.02.2018 से कमेंट्स प्रेषित किये कि :–

1. अपीलार्थी द्वारा बिन्दु संख्या 1 में वर्णित किया गया कि उसके द्वारा 23.12.2017 को सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के तहत आवेदन भिजवाया गया जो इस कार्यालय में दिनांक 27.12.2017 को रजिस्टर्ड डाक से प्राप्त हुआ। अपीलार्थी को इस कार्यालय द्वारा रजिस्टर्ड ए. डी. से दिनांक 10.01.2018 को जरिये पत्रांक सू0अ0/2018/68 से सूचित किया गया कि जो सूचना चाही गई है इस हेतु आप इस कार्यालय मे उपस्थित होकर रेकार्ड का अवलोकन करें एवं आप द्वारा बाद अवलोकन के चाही जाने वाली सूचना हेतु प्रति पेज 2/–रू. के हिसाब से राशि जमा कराये ताकि आपको सूचना उपलब्ध कराई जा सके। अपीलार्थी द्वारा दिनांक 23.01.2018 को एक पत्र इस कार्यालय को भेजते हुए बताया कि उसके द्वारा कोई रेकार्ड का अवलोकन नहीं करना है एवं जो आवेदन में वर्णित किया है उसकी सूचना उपलब्ध कराई जावे। इस पर अपीलार्थी द्वारा चाही गई समस्त सूचना के रेकार्ड के पेज की गिनती संबंधित शाखा लिपिक से करवाई गई। शाखा लिपिक द्वारा दिनांक 25.01.2018 को रिपोर्ट पेश की जिसमें अपीलार्थी द्वारा चाहे गये रेकार्ड के 51885 पेज होना बताया। अपीलार्थी को इस कार्यालय द्वारा दिनांक 25.01.2018 को जरिये रजिस्टर्ड पत्र क्रमांक/सू0अ0/2017/137 दिनांक 25.01.2018 से सूचित किया कि आप द्वारा चाही गई सूचना 51885 पेज की है

अतः 1,03,770/–रू. जमा कराये ताकि सूचना तैयार कर आपको उपलब्ध कराई जा सके।

2. बिन्दु संख्या 2 मे जो अपीलार्थी ने वर्णित किया है वह तथ्यहीन है क्योंकि अपीलार्थी चाही गई सूचना के अवलोकन हेतु लिखने एवं प्रार्थी द्वारा इस कार्यालय को प्रार्थना पत्र भिजवाने पर की, उसके द्वारा सूचना का अवलोकन नहीं करना है इस पर प्रार्थी को चाही गई सूचना हेतु राशि जमा कराने हेतु दिनांक 25.01.2018 को जरिये रजिस्टर्ड ए.डी. के पत्र से लिखा गया। इस प्रकार इस कार्यालय द्वारा प्रार्थी को सूचना समय पर उपलब्ध कराना चाहा लेकिन प्रार्थी द्वारा जानबूझकर सूचना प्राप्त करने हेतु रेकार्ड का अवलोकन नहीं करना एवं राशि जमा नहीं कराकर यह अपील प्रस्तुत की है। प्रार्थी जब भी चाहे सूचना इस कार्यालय से नियमानुसार प्राप्त कर सकता है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील आधारहीन एवं तथ्यहीन होने से निरस्त कराने का श्रम करावें।

हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील तथा सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं तहसीलदार, निम्बाहेड़ा द्वारा अपने पत्रांक/सू.अ./2018/184 दिनांक 12.02.2018 से प्रेषित कमेंट्स तथा उसके संलग्न अनुलग्नकों का अवलोकन कर उस पर मनन किया। जिसके अनुसार सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं तहसीलदार, निम्बाहेड़ा द्वारा अपीलार्थी द्वारा जनवरी, 2014 से 22.12.2017 तक लगभग तीन वर्ष की सूचना चाही गई जिसके अत्यधिक पृष्ठ होने से अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना हेतु कार्यालय रेकार्ड का अवलोकन करने तथा बाद अवलोकन उसके द्वारा चाही गई सूचना हेतु प्रतिलिपि शुल्क जमा करा वांछित सूचना प्राप्त करने हेतु पत्र लिखा, किन्तु अपीलार्थी द्वारा दिनांक 23.01.2018 को रेकार्ड का अवलोकन करने से मना कर दिये जाने से सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं तहसीलदार, निम्बाहेड़ा द्वारा सम्पूर्ण सूचनाओं के पृष्ठों की गिनती करा (जो कि 51885 पृष्ठ हुए) अपीलार्थी को जरिये पत्रांक सू.अ./2017/137 दिनांक 25.01.2018 (रजिस्टर्ड) से निर्धारित समयावधि में 51885 पृष्ठों का प्रतिलिपि शुल्क 1,03,770/–रू. जमा कराने हेतु सूचित किया गया है।

चूंकि सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं तहसीलदार, निम्बाहेड़ा द्वारा निर्धारित समयावधि में अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना का प्रतिलिपि शुल्क 1,03,770/—रूपये जमा कराने हेतु सूचित किया जा चुका है। जिससे प्रस्तुत अपील पर अब कोई कार्यवाही शेष नहीं रहती है निष्कर्षतः अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारीज की जाती है एवं सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं तहसीलदार, निम्बाहेड़ा को निर्देश दिये जाते हैं कि अपीलार्थी द्वारा प्रतिलिपि शुल्क 1,03,770/— रूपये जमा कराने पर उसके द्वारा वांछित सूचना की प्रमाणित प्रतिलिपियां उसे उपलब्ध करा दी जावे।

(इन्द्रजीत सिंह)
आई.ए.एस.
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

क्रमांक/सरिश्ता/प्र.सं./15/2018(सू.अ.)/ दिनांकः— / /2018
प्रतिलिपिः—

1. सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं तहसीलदार, निम्बाहेड़ा
2. श्री किशनलाल पिता गंगाराम बैरवा गांव व पोस्ट जलियॉं, तहसील निम्बाहेड़ा जिला—चित्तौड़गढ़

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)